न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/37/2021

रजि0 न0 2021/111

अपीलार्थीः—

श्री भागीरथ यादव पुत्र श्री शुभराम यादव, ग्राम कारोडा तह0 बहरोड़ जिला अलवर राज0 301020

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर,जिलाअलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 23.03.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2020 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 23.03.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक जिपअ/आर.टी. आई/2021/2277 दिनांक 12.03.2021 के माध्यम से पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है की चाही गई वांछित सूचना पूर्व में ही जरिये पत्र क्रमांक 971 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा लिखा जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)